

(19)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

बालक : 141/प्र०३०-भवन/जोन-१/2013-14 दिनांक 06/07/2016

01

विनियमितीकरण-

धर्म विनियमितीकरण उत्तम नगर नियोजन विकास अधिकारीयम 1973 की भाग 32 के अनुसार यह जा सकता है कि उस पूर्वे के समान में जिस पर विद्यालय शामन के विभिन्न विषयों का रहा है, इसके प्रकार यह किसी स्थानीय निकट या इतका स्थानीय अधिकारी एवं जाति अथवा जन के मालिकाना अधिकारी पर किसी भी कोई अद्यता यह बाहुनियि विषय के मिलायात का स्वान्त्रता के लिए कर्त्ता के दिल्ली कोई प्रश्न न रखती।

साथीय गैरी नार्ट वेलफेयर सोसायटी (रोटरारी कानवेन्ट) द्वारा मार्ट आफ फू फॉल्ड फ्लाट नं० 135ए सिविल स्टेशन, थार्नहिल रोड इलाहाबाद जोन नं०४ (१) के अन्तर्गत दिल्ली प्रिनियमितीकरण मालिकाना की स्वीकृति / निर्णय उपलब्ध नहीं है के शादी दिन के 06.07.2016 के द्वारा निर्णयिता दिल्ली के अधीन भवन की गयी है।

१. उत्तम नगर नियोजन विभिन्न विषयों के उत्तम नियोजन पूर्ण होने के अनुसार पूर्ण प्राप्त प्राप्ति होने के पश्चात् ही उपलब्ध / अधिकारी विषय जायगा। भवन नियोजन दिन २००६ में दिल्ली संस्था-२१४ एवं ३१४ में नियंत्रित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्ण प्राप्ति-प्राप्ति प्राप्ति-प्राप्ति है।
२. यह वर्तमान अन्ति (Provisional) स्थानीयों के लिए नियोजन पूर्ण होने के अन्तर्गत, यांत्री आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की अंति पूर्ण करने के पश्चात् नियंत्रित करने वाले 'पूर्णता नमूना' एवं यह प्राप्ति करने के बाद ही इस परियास को गारंसियक उपयोग में लाय जा सकेगा।
३. उत्तम पर ४५३ दिन के एक बोर्ड लाइन विधिकरण द्वारा दीकृत भवनिक राज्यकालीन उचित विधिकरण अधिकारी विषय आनंदायी होना, जिसमें अविकेल / इच्छी नियोजन के लिए वास न मी अविकल हो।
४. उत्तम पर ५५ अद्यता देख लगाने के तथा युक्ति के होने भवा रखने का दायित्व संस्था जो होगा।
५. स्थान का उपलब्ध / अधिकारी, जुड़गिराम वी पूर्णता प्राप्ति-प्राप्ति करने के पश्चात् विषय जाग
६. उत्तम द्वारा दीकृत उपलब्ध विषय के अनुसार सूर्योदय से तक होने वाले एवं यह विषय उपलब्ध विषय करना अनिवार्य जागा। उत्तमवाहन से जय रामार्थाराम अस्मुका किया जाएगा।
७. इनका १५ सोलर एवं १८ टीर्टींग रामवत लकड़ान विषयकारी है।
८. संरक्षा द्वारा पूर्ण विद्युत विधि रामवत नं० (4AC 331941 दिनांक 30.12.2013) वा अद्यता दानुषलन विषयकारी होगा। इधें रेल वी चौटटू रसीजन मनाविकरण में अनुसार गेनेटर लगने वाला एवं यह विषय उपलब्ध विषय नहीं किया जायेगा।
९. यह स्थानीय गवर्नर वर्षमिति नं०-१४/प्र०३०-भवन/जोन-१/2013-१४ दिनांक 30.12.2013 ने दीकृत प्राप्ति-प्राप्ति का अनुसार उपलब्ध विषयकारी होगा।
१०. स्थानीय न्यायालय एवं लोई याद इने जाहान ३००० लोटों यादी की लियाही ने इद्यता स्वीकृते नानीय न्यायालय के नियोजन के अधीन होगा, जो १००० स्थानीय लिस्ट भी विवाद पर : नियंत्रित साथ नियंत्रित संस्था जायेगी।
११. यदि गत्या द्वारा कर्त्ता यह उपलब्ध सूचना छिनायी नहीं है अथवा उत्तम सूचना दी गयी है तो उत्तम नगर नियोजन एवं विकास विधिविषय (३/३ गोपा भाग १० (३) के अनुसार सामिक्रति नियंत्रित करने दोगा। होगा।

Re: Selection map with
Letter
Anup Singh
6/07/2016

6/07/2016
9415351219

(प्रबल श्रीमान्नव)
विशेष न्यायालयकारी

